

कार्यालय जिला पंचायत (अम्बिकापुर) सरगुजा छत्तीसगढ़

क्रमांक /

/स्था/जि.पं./ MGNREGA/2012

अम्बिकापुर दिनांक

/ 12 /2012

विज्ञापन

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 17/12/2012

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक /806/पं.ग्रा.वि.वि. /22/2011/ रायपुर दिनांक 06.04.2011, विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक /2267/वि-7/एमजीएनआरईजीए/167/2011 दिनांक 01.10.2011 एवं छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक /355/पं.ग्रा.वि.वि. /22/2012/ रायपुर दिनांक 22.02.2012 दिये गये निर्देशों एवं पदों के स्वीकृति के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु सूरजपुर जिले के अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

विज्ञापित पदों का विवरण

कं.	रिक्त पद का नाम (जनपद पंचायत स्तर)	एक मुश्त संविदा वेतन रु. (प्रतिमाह)	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों का वर्गवार विवरण				
				अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तकनीकी सहायक	14180	22	8	3	1	10	22
2	लेखापाल	9700	11	2	2	1	6	11
3	सहायक ग्रेड-3	8060	14	3	2	1	8	14
4	समन्वयक (सामाजिक अंकेक्षण)	15290	6	1	1	1	3	6
5	सहायक (सामाजिक अंकेक्षण)	10940	12	4	1	1	6	12
6	सहायक प्रोग्रामर	15290	5	1	1	1	2	5
7	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	9700	2	0	0	1	1	2
8	भृत्य	6640	4	2	0	0	2	4
योग			76	21	10	7	38	76
नोट:-	1- महिलाओं का शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत समस्तरीय एवं प्रवर्गवार आरक्षण दिया जावेगा। 2- विकलांगों को शासन के नियमानुसार 6 प्रतिशत समस्तरीय आरक्षण दिया जावेगा। 3- भूतपूर्व सैनिकों को शासन के नियमानुसार 10 प्रतिशत समस्तरीय आरक्षण दिया जावेगा। 4- अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। 5- आरक्षण की गणना अजा/अजजा संवर्ग के लिए बैकलॉग रिक्त पद समाहित कर ली गई है।							
आयु सीमा	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2004 के अनुसार दिनांक 30 नवम्बर 2012 को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। छ.ग.शासन के नियमानुसार/निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट मान्य होगी।							
न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता								
1	तकनीकी सहायक	1.बी.ई./बी.टेक (सिविल/कृषि अभियांत्रिकी, 2.पॉलिटेक्नीकी डिप्लोमा (सिविल ब्रान्च में), 3. बी.ई./पॉलिटेक्नीक डिप्लोमा इंजीनियरिंग (किसी भी ब्रान्च में) 4.एम.एस.सी. (भौतिक/गणित) 5. बी.एस.सी. गणित (प्राथमिकता क्रम उक्त शैक्षणिक अर्हता अनुसार होगी।						
2	लेखापाल	द्वितीय श्रेणी में बी.कॉम उत्तीर्ण।						
3	सहायक ग्रेड-3	1-किसी भी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भरती नियम के अनुसार निर्धारित योग्यता। 2-किसी मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।						
4	समन्वयक (सामाजिक अंकेक्षण)	एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबंधन) / (ग्रामीण विकास) / PGDRM / PGDRD / सामाजिक कार्य (MSW) / सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर						
5	सहायक (सामाजिक अंकेक्षण)	एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबंधन) / (ग्रामीण विकास) / PGDRM / PGDRD / सामाजिक कार्य (MSW) / सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर						
6	सहायक प्रोग्रामर	बी.ई. कम्प्यूटर साइंस/एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस एवं डाटा नेट टेक्नालाजी/जावा/एम.एस.एस.क्यू.एल./ओरिक्ल का ज्ञान।						
7	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1- कक्षा 12 वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10 वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। 2-किसी मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।						

8	भृत्य	पांचवीं उत्तीर्ण
चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण:- महात्मा गांधी नरेगा भर्ती नियमानुसार।		

आवेदन की शर्तें

- 1- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में करना अनिवार्य होगा। (आवेदन का प्रारूप (www.sugrguja.nic.in) पर उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त न होने पर उसे अमान्य किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत के सूचना बोर्ड में भी अवलोकन किया जा सकता है।
 - 2- विज्ञापित पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तदनुसार नियुक्ति में आरक्षण का पालन किया जाएगा। विज्ञापित पदों में नियुक्ति आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के विवेकाधीन होगी।
 - 3- आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2012 को (सांय 5.30) बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा के नाम से भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
 - 4- जाति की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। छानबीन समिति से प्रमाणित जातिप्रमाण पत्र के आधार पर ही नियुक्ति देय होगी।
 - 5- **आवेदक को सूरजपुर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।** आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
 - 6- शासकीय / अर्धशासकीय (कार्यालय/संस्था) में कार्यरत कर्मचारी अपना आवेदन पत्र नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करेंगे। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। आवेदन जमा होने के अंतिम तिथि उपरांत नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। शासकीय तथा शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था/निकाय से बर्खास्त/पदच्युत आवेदक नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।
 - 7- रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करें तथा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
 - 8- अपूर्ण/अस्पष्ट/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
 - 9- विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारण न करने वाले अभ्यर्थी आवेदन न करें।
 - 10- लिफाफे के उपर (MGNREGA) एवं आवेदित पद का नाम एवं जाति वर्ग को अवश्य लिखें।
 - 11- भर्ती से संबंधित अन्य जानकारियों कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।
 - 12- छ0ग0 शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं निर्देश के अधीन ही नियुक्ति होगी।
- (कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सरगुजा
अम्बिकापुर, दिनांक /मार्च/2012

पृष्ठां.क्रमांक/ /स्था/जि.पं./ MGNREGA/2012

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- 2 विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर।
- 3 आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर।
- 4 आयुक्त, सरगुजा संभाग, सरगुजा।
- 5 कलेक्टर, सूरजपुर।
- 6 संभागीय रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा।
- 7 परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सूरजपुर।
- 8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त), जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ। विज्ञापन की प्रति नोटिस बोर्ड में चरपा
- 9 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी. सरगुजा को सूचनार्थ। उक्त विज्ञापन जिले की वेबसाईड में प्रकाशित करें।
- 10 उप संचालक, जिला संपर्क कार्यालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा को सूचनार्थ। उक्त विज्ञापन प्रकाशित होने की सूचना समाचार पत्रों में करावें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सरगुजा

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत
(संविदा नियुक्ति हेतु) आवेदन पत्र**

विज्ञापन क्रमांक

दिनांक

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, सरगुजा
(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ)

**स्वयं के पासपोर्ट साईज का
अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा
करें।**

आवेदित पद का नाम.....							
1.	आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)						
2.	आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में)						
3.	पिता / पति का नाम						
4.	जन्म तिथि (अंको में)						
5.	लिंग (पुरुष / महिला)						
6.	आवेदक का वर्ग (अनारक्षित/अ.पि.वर्ग/अ.जा./अ.ज.जा.)						
7.	जाति						
8.	आवेदक का जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति द्वारा सत्यापित है या नहीं?						
9.	क्या आवेदक विकलांग है?						
10.	क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है?						
11.	रोजगार कार्यालय में पंजीयन का क्रमांक, दिनांक व रोजगार कार्यालय का नाम						
12.	क्या आवेदक सूरजपुर जिले का मूल निवासी है। (हां की स्थिति में प्रमाण पत्र संलग्न करें।)						
13.	आवेदक का स्थाई पता						
14.	आवेदक के पत्र व्यवहार का पता						
15.	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता						
क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा का विषय	बोर्ड/वि.वि. संस्थान का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	हाई स्कूल						
2							
3							
4							
5							

16.	समान वेतनमान पर कार्य करने का अनुभव होने पर (कार्यालय का नाम जहां कार्य किया गया है, पद का नाम जिस पर कार्य किया गया है एवं पद का वेतनमान का उल्लेख अवश्य करें (अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)	
17.	समान वेतनमान पर कार्य करने के अनुभव का वर्ष	
18.	आवेदक वर्तमान में किसी शासकीय / अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है। (हां तो कार्यालय का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें)	
19.	आवेदक का दूरभाष / मोबाईल नंबर	
20.	आवेदन के साथ संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों का विवरण	
	1-----	2-----
	3-----	4-----
	5-----	6-----
	7-----	8-----

घोषणा पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास में है कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण एवं सत्य हैं। त्रुटिपूर्ण या छिपाकर अथवा अपूर्ण और असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। चयन/नियुक्ति बिना नोटिस के निरस्त/समाप्त की जावेगी। इसके लिए मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया जावेगा। मूल दस्तावेज / प्रमाण पत्र मांगे जाने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

.....
आवेदक का पूरा नाम व हस्ताक्षर

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

क्रमांक/12942/जि.पं./स्था.विकास/2012-13

कांकेर, दिनांक 1/12/2012

जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर में स्वीकृत डी.आर.डी.ए. के सेटअप अनुसार निम्नांकित पद रिक्त है जिसे इस कार्यालय में संविदा नियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 से दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पदों का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-


क्र.	पदनाम	वेतनमान (एकमुश्त)	शैक्षणिक योग्यता	अनारक्षित	अ.जा	अजजा	पि.वर्ग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तकनीकी सहायक	14180/-	बी.ई.सिविल/पॉलिटेक्नीक सिविल डिप्लोमा/एम.एस.सी. (भौतिक/गणित) में प्रथम श्रेणी	1	0	2	0	3
2	स्टेनोग्राफर / शीघ्रलेखक	10940/-	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भरती नियम के अनुसार निर्धारित योग्यता। (2) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीषद से - (क) हिन्दी शीघ्रलेखन के लिए क्रमशः 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन, (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखन के लिए क्रमशः 100 शब्द तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन, तथा (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखन के लिए ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में टाईप लेखन, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण पत्र धारण करता हो। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए।	0	0	1	0	1
4	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	9700/-	(1) कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा, कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण (2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।	0	0	1	0	1
3	सहायक ग्रेड - 03	8060/-	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण या विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा उत्तीर्ण एवं 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। (3) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन 25 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ उत्तीर्ण।	0	0	1	1	2

नोट :- उपरोक्त तालिका में महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत निःशक्त हेतु 06 प्रतिशत तथा भुतपूर्व सैनिकों के लिए नियमानुसार पद आरक्षित रहेंगे।

आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना अनिवार्य है :-

01. ऊपर वर्णित समस्त पदों की संख्या घट/बढ़ सकता है।
02. विज्ञापित समस्त पद में जिला उत्तर बस्तर कांकेर के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
03. आवेदन पत्र का प्रोफार्मा एवं अनुबंध पत्र तथा अन्य विस्तृत शर्तें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की वेबसाईट www.kanker.gov.in में देखा जा सकता है। सभी तरह से भरे हुए एवं पूर्ण आवेदन पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 तक जिला कार्यालय उत्तर बस्तर कांकेर में सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक से प्राप्त हो जाना चाहिए।
04. संविदा नियुक्ति के पूर्व उम्मीदवार को अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करने होंगे। उम्मीदवार के लिए आयु सीमा न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष शेष अतिरिक्त आयु सीमा में शासन द्वारा घोषित नियमानुसार पात्रता होगी।

उपरोक्त संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष के लिए की जावेगी। संविदा के अन्तर्गत नियुक्त किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। जिन पदों के विरुद्ध नियमित कर्मचारी प्राप्त होने पर या आवश्यकता न होने पर अथवा कार्य संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में एक माह का अग्रिम नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत
 उत्तर बस्तर कांकेर